

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2020-21/4298

लखनऊ: दिनांक 23/12/2020

—:: आदेश ::—

विशेषज्ञ विस्तार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पाँच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवाविस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भौति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भौति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ved Prakash	4662	18-01-1956	18-01-2016	Orthopaedics Specialist	Lok Bandhu Raj Narayan Hospital Lucknow
2.	Dr. Shradha Yadav	5141	18-03-1957	31-03-2017	Gynecologist	District Women Hospital Ghaziabad
3.	Dr. Ashok Kumar Srivastava	5314	01-06-1957	31-05-2019	Orthopaedics Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
4.	Dr. Dinesh Kumar	6698	04-07-1957	31-07-2019	ENT Specialist	District Male Hospital Unnao
5.	Dr. Neeraj Srivastava	6509	09-08-1956	30-08-2016	Medicine Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
6.	Dr. Laxman Misra	10744	01-07-1957	30-06-2019	Eye Surgeon	Shree Ram Hospital Ayodhya
7.	Dr. Ghulam Ahamad Khan	8679KA	05-07-1957	31-07-2019	Ophthalmologist	Under CMO Amethi
8.	Dr. Mohammad Hashim	5978 ka	15-06-1957	30-06-2019	Ophthalmologist	District Male Hospital Pratapgarh
9.	Dr. Babu Ram Jaiswal	5432	10-06-1957	30-06-2019	Cardiology Specialist	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
10.	Dr. Manju Malik	5068	29-08-1957	31-08-2019	Gynecologist	District Women Hospital Meerut
11.	Dr. Bhagwan Prasad Bajpai	5851	01-05-1957	30-04-2017	Eye Surgeon	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
12.	Dr. Adya Prasad Pandey	4857	05-05-1956	31-05-2016	Paediatrician	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
13.	Dr. Brij Mohan Nagar	5716	09-07-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Rampur
14.	Dr. Chandra Pal	7480	05-07-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	Lok Bandhu Raj Narayan Hospital Lucknow
15.	Dr. Ratan Kumar	6017	27-07-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	RLB Combined Hospital, Lucknow

16.	Dr. Rajesh Ojha	4613	23-06-1956	30-06-2016	Orthopaedics Specialist	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
17.	Dr. Abhishek Verma	5419	21-07-1956	31-07-2016	Paediatrician	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
18.	Dr. Surendra Kumar Pandey	5979	08-06-1957	30-06-2019	Orthopaedics Specialist	District Combined Hospital Kaushambi
19.	Dr. Yogendra Deo Sharma	8173	20-07-1956	31-07-2016	Radiologist	MMG District Hospital Ghaziabad
20.	Dr. Sanjay Mohan Sahay	6242	14-06-1957	30-06-2019	Ophthalmologist	Under CMO Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
21.	Dr. Jitendra Kumar Tyagi	6016	15-07-1957	31-07-2019	TB Chest Disease Specialist	District Combined Hospital Gautam Buddha Nagar
22.	Dr. Anugrah Narayan Singh	10184kA	03-06-1957	30-06-2019	Anesthetist	District Male Hospital Gorakhpur
23.	Dr. Shri Narayan Singh	7865	01-07-1957	30-06-2019	Paediatrician	District Male Hospital Deoria
24.	Dr. Mohammad Arif Farooqui	6876	25-07-1956	31-07-2016	Orthopaedics Specialist	Combined District Hospital Sant Kabir Nagar
25.	Dr. Jawahar Lal	7028	14-01-1956	31-01-2016	Eye Surgeon	District Male Hospital Mathura
26.	Dr. Yatindra Bharadwaj	6508	01-07-1956	30-06-2016	Surgeon	Malkhan Singh District Hospital Aligarh
27.	Dr. Rajendra Kumar Chaudhary	5863	25-06-1957	30-06-2019	Eye Surgeon	Balrampur Hospital Lucknow
28.	Dr. Girdhari Lal Kesarwani	5980	23-07-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Mau
29.	Dr. Vikas Chandra Gupta	11430	15-08-1957	31-08-2019	Paediatrician	District Male Hospital Gonda
30.	Dr. Virpal Singh	7075	07-08-1957	31-08-2019	Anesthetist	District Male Hospital Gonda
31.	Dr. Mulayam Singh	6913	20-08-1957	31-08-2019	Anesthetist	UHM Hospital Kanpur Nagar
32.	Dr. Virendra Kumar	6879	14-07-1957	31-07-2019	Anesthetist	District Male Hospital Agra
33.	Dr. Aijaz Ahmad Khan	8171	15-07-1956	31-07-2016	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Agra
34.	Dr. Upma Singh	6288	21-02-1957	28-02-2017	Anesthetist	District Female Hospital Agra
35.	Dr. Onkar Nath	5522	12-05-1957	31-05-2019	Eye Surgeon	District Male Hospital Sultanpur
36.	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8283	18-08-1957	31-08-2019	Paediatrician	RLB Combined Hospital Lucknow
37.	Dr. Raja Ram	9030	01-07-1957	30-06-2019	Paediatrician	District Male Hospital Sitapur
38.	Dr. Shiv kumar Singh	5549	14-05-1956	31-05-2016	Pathologist	Under CMO Firozabad
39.	Dr. Pradeep Kumar Gupta	6535	04-07-1956	31-07-2016	Surgeon	District Male Hospital Agra
40.	Dr. Narendra Singh	8063	01-07-1957	30-06-2019	Cardiology Specialist	District Combined Hospital Gautam Buddha Nagar
41.	Dr. Prem Prakash Rai	6015	15-05-1957	31-05-2019	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Sitapur
42.	Dr. Meera Verma	7380	08-07-1957	31-07-2019	Gynecologist	Virangana Jhalkari Bai Female Hospital Lucknow
43.	Dr. Dinesh kumar Yadav	8614KA	01-06-1957	31-05-2019	Paediatrician	Under CMO Jhansi

44.	Dr. Jagdish Chandra Lakhanpal	6885	09-08-1957	31-08-2019	Paediatrician	100 Bed Hospital Moradabad
45.	Dr. Nand Lal	7560	01-08-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Mirzapur
46.	Dr. Vinod Shankar Dubey	6889	15-04-1957	30-04-2017	Paediatrician	100 Bed Combined Hospital Sant Ravidas Nagar
47.	Dr. Jawahar Lal Gupta	7968	21-05-1957	31-05-2019	Surgeon	Under CMO Firozabad
48.	Dr. Upendra Kumar Verma	5349	09-07-1956	31-07-2016	Chest Disease Specialist	Pt. Kamalapati Tripathi Combined Hospital Chandauli
49.	Dr. Seema Shukla	6274	05-06-1957	30-06-2019	Gynecologist	District Female Hospital Kanpur Dehat
50.	Dr. Jai Bir Singh	7559	01-08-1957	31-07-2019	Anesthetist	Under CMO Firozabad

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.


महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2020-21/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश, शासन।
- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

44.	Dr. Jagdish Chandra Lakhanpal	6885	09-08-1957	31-08-2019	Paediatrician	100 Bed Hospital Moradabad
45.	Dr. Nand Lal	7560	01-08-1957	31-07-2019	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Mirzapur
46.	Dr. Vinod Shankar Dubey	6889	15-04-1957	30-04-2017	Paediatrician	100 Bed Combined Hospital Sant Ravidas Nagar
47.	Dr. Jawahar Lal Gupta	7968	21-05-1957	31-05-2019	Surgeon	Under CMO Firozabad
48.	Dr. Upendra Kumar Verma	5349	09-07-1956	31-07-2016	Chest Disease Specialist	Pt. Kamalapati Tripathi Combined Hospital Chandauli
49.	Dr. Seema Shukla	6274	05-06-1957	30-06-2019	Gynecologist	District Female Hospital Kanpur Dehat
50.	Dr. Jai Bir Singh	7559	01-08-1957	31-07-2019	Anesthetist	Under CMO Firozabad

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2020-21/4249-4308 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायन रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश, शासन।
- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)